<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।</u>

जे०ओ०कोड संख्या यू०पी० 2735,

CNRNOUPBH010034882026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1227/12A/2026

गौरी शंकर आयु 22 वर्ष पुत्र नकछेद निवासी चमारनपुरवा, दा० इटहा,थाना कोतवाली नानपारा, जनपद बहराइच।

प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–397/2025
धारा–110, 115(2), 352, 351(3)बी.एन.एस.
धारा 3(1)(ध),3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
<u>थाना–कोतवाली नानपारा, जनपद बहराइच</u>।

<u>19.06.2026</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त गौरी शंकर पुत्र नकछेद निवासी चमारनपुरवा, दा० इटहा,थाना कोतवाली नानपारा,जनपद बहराइच की ओर से अपराध संख्या 397/2025, धारा–110, 115(2), 352, 351(3)बी.एन.एस. धारा 3(1)(ध),3(2)(va) एस०सी०/एस० टी० एक्ट, थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच, के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। नोटिस वादिनी मुकदमा पर तामील है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त जमानत देने को तैयार हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि विपक्षीगण दिनांक 15.08.2025 समय करीब 07 बजे सुबह चकरोट मिट्टी को फावड़ा तसला लेकर काट रहे थे। प्रार्थिनी ने मना किया तो सभी विपक्षीगण अमादा फौजदारी हो गये और प्रार्थिनी को मारने पीटने लगे। प्रार्थिनी को जातिसूचक चमारिन साली.....की गाली देते हुए मारने लगे। उसके शोर पर प्रार्थिनी के पति मेवा लाल गौतम सास रमकला व नाबालिग लड़का अग्रसेन बचाने दौड़े तो उन्हें भी मारा पीटा। विपक्षी भगौती ने जान से मारने की नियत से प्रार्थिनी के पति मेवा लाल के सिर पर फावड़े से प्रहार कर दिया जिससे उसके पति मौके पर बेहोश होकर गिर गये तथा प्रार्थिनी की सास रमकला को भी फावड़े से मारा जिससे उन्हें भी गहरी चोटे आयी। विपक्षीगण प्रार्थिनी को भद्दी–भद्दी जातिसूचक गाली एवं कही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। प्रार्थिनी ने अपने मोबाइल से 112 पर फोन किया जहाँ मौके पर पुलिस आयी विपक्षी भगौती को अपने साथ लेकर चली गयी तथा शेष विपक्षीगण मौके से भाग गये। प्रार्थिनी के पति मेवालाल का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा अन्य चोटहिलों का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया।

अभियुक्त के अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को महेज रंजिशन व परेशान करने की नियत से फंसाया गया है तथा निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखी सारी बातें फर्जी व मनगढ़न्त है तथा कपोल कल्पित है। घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त घर पर मौजूद नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं किया है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर बी०एन०एस० की सभी धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त पूर्व से अंतरिम जमानत पर है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया गया।

इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा व उसके पति को जातिसूचक गालियां देने, मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर बी०एन०एस०की सभी धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त पूर्व से अंतरिम जमानत पर है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया हो।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर बगैर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु०–25,000/–(पचीस हजार) रूपये के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थी/अभियुक्त आरोप/धारा 351 बी०एन०एस०एस०(धारा 313 द०प्र०सं०) के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

2– अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगें, धमकायेगें और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़–छाड़ करेंगे।

3– अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगें तथा विचारण में सहयोग करेगें,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगें।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांकः 19.06.2026 विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।